## Sixteenth Loksabha

an>

Title: Introduction of the Armed Forces Law (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of section 45 etc.).

श्री जगदम्बिका पाल (डुमिरयागंज): मैं प्रस्ताव करता हूं कि समलैंगिक, गे, उभयलिंगी और विपरीतिलंगी समुदाय के सदस्यों को देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने और सशस्त्र बलों में सेवा करने के समान अधिकार और अवसर देने के लिए थल सेना अधिनियम, 1950 नौसेना अधिनियम, 1957 और वायुसेना अधिनियम, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Army Act, 1950, the Navy Act, 1957 and the Air Force Act, 1950 with a view to give equal rights and opportunities to members of the Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender community to dedicate their lives for the nation and serve in the Armed Forces."

The motion was adopted.

श्री जगदम्बिका पाल: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।